BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 589 OF 2025

IN THE MATTER OF:

VARUN GULATI ...APPLICANT

VERSUS

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD & ORS. ...RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7- DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 17.03.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE PENALTY ORDER DT. 29.01.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-8/1	
3.	COPY OF THE DEMAND NOTICE DT. 20.05.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-8/2	
4.	COPY OF THE LETTER DT. 23.04.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-8/3.	
5.	COPY OF THE JOINT INSPECTION REPORT DT. 27.05.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE	

	R-8/4.	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

Date: 07.07.2026

Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA NO. 589 OF 2025

NOTARY NOTARIAL NOTARIAL GOVT. OF INDIA

IN THE MATTER OF:

VARUN GULATI .... **APPLICANT**

VERSUS

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD & ORS.

......**RESPONDENT(s)**

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7- DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 17.03.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Ravindra Kumar Mander aged about 36 years S/o C.L. Meena....., presently posted as District Magistrate, Ghaziabad... do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

NOTARY GOVT. OF INDIA

5-8

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE ORIGINAL APPLICATION

3. That in the present matter, the applicant has raised grievance against the grave environmental degradation, riverbed destruction, continuous increase in pollution, and public health hazards arising from illegal and reckless sand mining being carried out by Respondent No. 9 i.e. M/s Nirmal Sand Mining And Infra Pvt Ltd. in the Yamuna river at Gata No. 1, Area 1.81 hectares, Village Nauraspur, Tehsil Loni, District Ghaziabad, Uttar Pradesh, in absolute violation of the environmental laws and norms.

4. That this Hon'ble Tribunal vide order dt. 17.03.2026 directed as under:

   "3. Learned counsel appearing for the Respondents No. 7,8 and 9 seek four weeks' time to file the reply."

NOTARY GOVT. OF INDIA

II. FINDINGS OF THE JOINT COMMITTEE CONSTITUTED BY THE HON'BLE TRIBUNAL

5. That pursuant to the order dated **20.11.2025** passed by this Hon'ble Tribunal, a Joint Committee comprising officials of MoEF&CC, CPCB, UPPCB, Irrigation Department, Mining Department and District Administration conducted a detailed inspection of the sand mining permit situated at Village Nauraspur. That during inspection, various deficiencies and violations were noticed by the Joint Committee. That the Joint Committee submitted its report dated **19.03.2025** before this Hon'ble Tribunal.

6. That the Committee, inter alia, recommended that:

   "DM through the Mining Department shall ensure that no mining is carried out in the main stream of River Yamuna."

III. ACTION TAKEN PURSUANT TO THE JOINT COMMITTEE REPORT

7. That immediately upon receipt of the Joint Committee Report and the inspection report submitted by the Mining Officer, Ghaziabad dated **12.12.2025**, proceedings were initiated under the applicable provisions of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules-2021.

NOTARY GOVT. OF INDIA

8. That after examining the findings of the Mining Officer as well as the Joint Committee, the Deponent passed order dated **29.01.2026** imposing the following penalties upon the lease holder:

(i) Rs. 5,00,000/- under Rule 60(4) for illegal mining within the river stream.

(ii) Rs. 50,000/- under Rule 60(2) for violation of Environmental Clearance conditions.

(iii) Rs. 25,000/- under Rule 60(3) for negligence in maintaining the boundary pillars.

9. That accordingly, a total penalty of **Rs. 5,75,000/-** was imposed upon **M/s Nirmal Sand & Infra Pvt. Ltd., through its proprietor Shri Jasbir Singh.** That the permit holder was directed to deposit the aforesaid amount within fifteen days.

A Copy of the penalty order dated 29.01.2026 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-8/1.**

IV. INITIATION OF RECOVERY PROCEEDINGS

10. That since the penalty remained unpaid, Recovery Certificate/Demand Notice No.1368 dated **20.05.2026** was issued against M/s Nirmal Sand & Infra Pvt. Ltd., through its proprietor Shri Jasbir Singh.

NOTARY GOVT. OF INDIA

A Copy of the Demand Notice dt. 20.05.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-8/2.**

V. INSPECTION OF NAURASPUR PERMIT AREA BY SUB-DIVISIONAL COMMITTEE (SDC)

11. That apart from imposing monetary penalties, the District Administration also considered the suitability of **Nauraspur Permit area** for further mining and accordingly, vide Letter No.1286 dated **23.04.2026**, SDC comprising:

- Sub-Divisional Magistrate, Loni;
- Divisional Forest Officer;
- Executive Engineer, Irrigation Department;
- Regional Officer, UPPCB; and
- Mining Officer, Ghaziabad

was constituted for examining the same.

A Copy of Letter dated 23.04.2026 is annexed herewith as **ANNEXURE R-8/3.**

VI. JOINT INSPECTION CONDUCTED ON 27.05.2026

12. That the Committee conducted a detailed field inspection of Nauraspur mining permit area in Gata No. **1**, area **1.81** Hectare on **27.05.2026**. That during inspection, it was found that nearly **90%** of the mining area

remained submerged under water and only a narrow strip was available. Further, damage may occur to flood prevention structures constructed by Irrigation department in the area if further mining takes place.

VII. RECOMMENDATION OF THE INSPECTION COMMITTEE

13. That after considering all technical and environmental aspects, the Committee unanimously concluded that the mining area situated at Village Nauraspur, Gata No.1, measuring 1.81 hectares, is **not suitable for sand mining** under the prevailing conditions.

A Copy of the Joint Inspection Report dated 27.05.2026 is annexed herewith as **ANNEXURE R-8/4.**

VIII. EXPIRY OF MINING PERMIT

14. That it is further submitted that the mining permit in favour of M/s Nirmal Sand & Infra Pvt. Ltd. was a short-term permit which has already expired by efflux of time. That presently, **no mining activity is being carried out** in the said permit area.

NOTARY P.K. SHARMA ...ABAD ... GOVT. OF INDIA

15.Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon`ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at on this _ day of July, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 15 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY GOVT. OF INDIA

ATTESTED

No. 42 Dated 07/7/2026

Certified that Document Affidavit Shri Ravindra Kumar Mander.

Identified By Shri

P.K. SHARMA
Advocate
Notary Ghaziabad
(GOVT. OF INDIA)

07/7/2026.

ANNEXURE
R-8/1

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

आदेश

मै0 निर्मल सैण्ड एण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 प्रो0 श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह निवासी– एक्स–204/1, गली नं0–11, समुदाय भवन के पीछे, ब्रह्मपुरी, दिल्ली–110053 के पक्ष में ग्राम नौरसपुर तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के गाटा सं0 1 रकबा 1.81 है0 में 06 माह की अल्प अवधि हेतु बालू खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 05.05.2025 से 04.02.2026 तक स्वीकृत है, जिसकी पत्रावलीं के अवलोकन उपरान्त निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आये है :–

माननीय न्यायालय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 589/2025 वरूण गुलाटी बनाम केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड व अन्य में निर्गत आदेश दिनांक 20.11.2025 के अनुपालन में संयुक्त समिति व खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 11.12.2025 को बालू खनन अनुज्ञा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित अनियमितता पायी गयी :–

खान अधिकारी गाजियाबाद की आख्या दिनांक 12.12.2025 में पायी गयी अनियमित्ता :–

1. सीमांकित क्षेत्र के उत्तर पश्चिम दिशा में पिलर सं0 A, F, E मौके पर नहीं पाया गया एवं दक्षिण दिशा में पिलर सं0 D भी मौके पर नहीं पाया गया।

2. बालू खनन अनुज्ञा क्षेत्र में खनन क्षेत्र तक पहुॅचने के लिये 01 रास्ता बना देखा गया, जिसे क्षेत्र के KML द्वारा जिओ कॉर्डिनेट जांच किये जाने पर उक्त रास्ता उत्तर पश्चिम दिशा की पिलर सं0 A और F से बाहर की ओर पाया गया।

3. जिससे यह प्रतीत होता है कि बालू खनन अनुज्ञा धारक द्वारा अपने सीमांकित क्षेत्र से उत्तर पश्चिम दिशा में बाहर जाकर नदी की जलधारा में खनन किया गया है।

माननीय न्यायालय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 589/2025 वरूण गुलाटी बनाम केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड व अन्य में निर्गत आदेश दिनांक 20.11.2025 के अनुपालन में संयुक्त समिति की जॉच आख्या दिनांक 19.12.2025 में पायी गयी अनियमित्ता :–

1. *It was observed that the lessee has constructed the ramp in the active channel of Yamuna River for approaching the mineral being extracted from the mid of the stream. For constructing this ramp, the lessee has excavated the farm fields for approx. 2 m deep at the bank of the river near their site office. It was also established from KML file and evidences at site that on the date of inspection, extraction of mineral was being undertaken outside the lease area. And this area falls in the middle of the riverbed of the Yamuna River.*

Google Earth image reflected that the Respondent no. 9 is executing mining activity approx... 110 meters toward the main stream of the River Yamuna.

2. *The Joint Committee observed that out of six, only two boundary pillars were found intact, except that four were submerged in the river/ washed away and were not visible.*

3. *In the project site office, one acoustic-type DG of 10 KVA has been found with proper stack height; however, CTO permits only a 7.5 KVA DG set for this lease.*

4. *PP has not planted any tree, ete., near the office area (weighbridge area of the project or lease area.*

5. *Respondent No. 9 has not yet made an all-weather road from the site office to the main road.*

6. *Respondent No. 9 has not yet installed a solar-mediated lighting system in the site office.*

7. *Respondent No. 9 has not conducted an Environmental audit so far.*

8. *Respondent No. 9 has not submitted any six-monthly compliance report to the concerned organization.*

9. *Significant evidence has also been found in the lease area that the Respondent No. 9 has conducted mining at night.*

10. *Respondent No. 9 has not properly constructed a septic tank for collection of sewage from toilet room.*

उपरोक्त आख्याओं में पायी गयी अनियमितताओं के सम्बंध में कार्यालय नोटिस सं0 953 दिनांक 22.12.2025 द्वारा कारण बताओं नोटिस प्रेषित किया गया। उक्त नोटिस के कम में बालू खनन अनुज्ञा धारक द्वारा अपना उत्तर/स्पष्टीकरण दिनांक 17.01.2026 प्रस्तुत किया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि –

"आपके कार्यालय नोटिस सं0 953 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत बालू खनन अनुज्ञा पत्र ग्राम नौरसपुर गाटा सं0 1 रकबा 1.81 है0 का निरीक्षण दिनांक 11.12.2025 द्वारा जांच में पायी गयी अनियमितता के सम्बंध में प्रार्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के सम्बंध में निर्देशित किया गया है।

अवगत कराना है कि यमुना नदी में बाढ़ के कारण प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत बालू खनन अनुज्ञा क्षेत्र का सीमांकित क्षेत्र जलमग्न हो गया था, जिसके पिलर सं0 A, F, व E पानी में डूब गये तथा पिलर सं0 व क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रार्थी द्वारा अपने सीमांकित क्षेत्र में पहुँचने के लिये मार्ग बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें पिलर पानी में डूबे होने तथा कोहरे की अधिकता के कारण प्रार्थी को सीमा का ज्ञान नहीं हो सका, जिसके कारण भूलवश सीमांकित क्षेत्र से बाहर तक मार्ग बन गया, जिसके लिये प्रार्थी क्षमाप्रार्थी है। महोदय द्वारा जांच के समय अवगत कराये जाने पर मार्ग को तुड़वा दिया गया है। प्रार्थी द्वारा नदी जल धारा में किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया गया है, ब्लकि अपने ही क्षेत्र में बालू निकासी किये जाने का प्रयास किया गया था।

खनन क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाये जाने के सम्बंध में अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा पत्र दिनांक 07.04.2025 के माध्यम से वन विभाग, गाजियाबाद को 1810 (1000 पौधे प्रति हे0) लगाये जाने के लिये पौधे की लागत धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

06 माह की अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने के सम्बंध में अवगत कराना है कि प्रार्थी के पक्ष में 06 माह की अल्प अवधि हेतु खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार खनन अनुज्ञा पत्र के समाप्ति के उपरान्त ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा सकती है।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा भूलवश किये अपराध को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी क्षमा प्रदान करने की कृपा करें तथा प्रार्थी के पक्ष में निर्गत नोटिस को निरस्त किये जाने की कृपा करें, प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।"

बालू खनन अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त तथ्य संतोषजनक, तर्कसंगत एवं स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन उपरान्त बालू खनन अनुज्ञा धारक मै0 निर्मल सैण्ड एण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 प्रो0 श्री जसबीर सिंह द्वारा उनके पक्ष में निर्गत पर्यावरण स्वच्छता पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने तथा बालू खनन अनुज्ञा क्षेत्र में लगे सीमा स्तम्भों के रख–रखाव में लापरवाही एवं सीमांकित क्षेत्र से बाहर जाकर नदी की जलधारा में अवैध बालू खनन किये जाने की पुष्टि होती है, जो कि उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–60 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–60 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत बालू खनन अनुज्ञा धारक मै0 निर्मल सैण्ड एण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 प्रो0 श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह, निवासी– 204/1, गली नं0–11, समुदाय भवन के पीछे, ब्रहमपुरी, दिल्ली–110053 के उत्तर/स्पष्टीकरण दिनांक 17.01.2026 को निक्षेपित करते हुए नदी जलधारा में अवैध खनन किये जाने के कारण नियम 60(4) के अंतर्गत रु०

5,00,000/–, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तो का उल्लंघन के कारण नियम 60(2) के अंतर्गत रु० 50,000/– एवं सीमांकित क्षेत्र के सीमा स्तम्भ के रख रखाव में लापरवाही के कारण नियम 60(3) के अंतर्गत रु० 25,000/–, कुल धनराशि रू0 5,75,000/– अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है।

अतः बालू खनन अनुज्ञा धारक मै0 निर्मल सैण्ड एण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 प्रो0 श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह, निवासी– 204/1, गली नं0–11, समुदाय भवन के पीछे, ब्रह्मपुरी, दिल्ली–110053 को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिवस के अन्दर उपरोक्त अधिरोपित धनराशि को जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में उक्त धनराशि को भू–राजस्व के रूप में वसूला जायेगा।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

पत्र सं0: 1036 /ख0अनु0–गाजि0/25–26 दिनांकः 29/01/ 2026

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मै0 निर्मल सैण्ड एण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 प्रो0 श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह, निवासी– 204/1, गली नं0–11, समुदाय भवन के पीछे, ब्रह्मपुरी, दिल्ली–110053 को अनुपालनार्थ प्रेषित।

29/1/26

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

पत्र सं0:– 1368 /ख0अनु0/आर0सी0/गाजि0/26–27 दिनांक: 20/05/ 2026

वसूली मांग पत्र

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नोर्थ ईस्ट दिल्ली।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद गाजियाबाद के तहसील लोनी स्थित ग्राम नौरसपुर के गाटा सं0 1 रकबा 1.81 हे0 में 06 माह की अल्प अवधि हेतु बालू खनन अनुज्ञा पत्र मै0 निर्मल सैण्ड एण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 प्रो0 श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह निवासी– एक्स–204/1, गली नं0–11, समुदाय भवन के पीछे, ब्रहमपुरी, दिल्ली–110053 के पक्ष में दिनांक 05.05.2025 से दिनांक 04.02.2026 तक स्वीकृत था।

उपरोक्त बालू खनन अनुज्ञा क्षेत्र की खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 12.12.2025 को एवं मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 589/2025 वरूण गुलाटी बनाम केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड व अन्य में निर्गत आदेश दिनांक 20.11.2025 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 19.12.2025 को की गयी जांच में पायी गयी अनियमितताओं के कम में इस कार्यालय के आदेश सं0 1036 दिनांक 29.01.2026 द्वारा नदी जलधारा में अवैध खनन किये जाने के कारण नियम 60(4) के अन्तर्गत रू0 5,00,000/–, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने के कारण नियम 60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000/– एवं सीमांकित क्षेत्र के सीमा स्तम्भ के रख रखाव में लापरवाही के कारण नियम 60(3) के अन्तर्गत रू0 25,000/–, कुल धनराशि रू0 5,75,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये 15 दिवस के अन्दर जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

बालू खनन अनुज्ञाधारक श्री जसबीर सिंह द्वारा उपरोक्त अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि जमा कराने हेतु पुनः अनुस्मारक नोटिस पत्र सं0 1132 दिनांक 09.03.2026 प्रेषित किया गया, परन्तु बालू खनन अनुज्ञाधारक श्री जसबीर सिंह द्वारा तद्दिनांक तक भी अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि जमा नहीं करायी गयी है। बालू खनन अनुज्ञाधारक श्री जसबीर सिंह दिल्ली के निवासी है तथा इनकी चल अचल सम्पत्ति आपके क्षेत्रार्न्तगत आती है। बालू खनन अनुज्ञाधारक श्री जसबीर सिंह से निम्नवत् सारणी के अनुसार देय धनराशि को भू–राजस्व के रूप में वसूल किया जाना है :–

कम सं0	मद	देय धनराशि
1	नदी जलधारा में अवैध खनन किये जाने के कारण नियम 60(4) के अन्तर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि	रू0 5,00,000/–
2	पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने के कारण नियम 60(2) के अन्तर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि	रू0 50,000/–
3	सीमांकित क्षेत्र के सीमा स्तम्भ के रख रखाव में लापरवाही के कारण नियम 60(3) के अन्तर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि	रू0 25,000/–
	कुल धनराशि	रू0 5,75,000/–
नोट:– दिनांक 29.01.2026 से वसूली की दिनांक तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।		

अतः मै0 निर्मल सैण्ड एण्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 प्रो0 श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह निवासी–एक्स–204/1, गली नं0–11, समुदाय भवन के पीछे, ब्रहमपुरी, दिल्ली–110053 से उपरोक्त सारणी के अनुसार उल्लिखित धनराशि की वसूली कराते हुये जिलाधिकारी गाजियाबाद के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट तैयार कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार लोनी को उपरोक्त वसूली मांग पत्र की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वसूली पत्र का तामीला कराते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करे।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

ANNEXURE
R-8/3

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
खनन अनुभाग

पत्र सं0:– 1286 / ख0अनु0–गाजि0 / 2026–27 दिनांक: 23.04.2026

1. उपजिलाधिकारी, लोनी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गाजियाबाद।
4. खान अधिकारी, गाजियाबाद।

विषय:– बालू खनन क्षेत्र ग्राम नौरसपुर खनन योग्य न होने के कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) में से हटाये जाने हेतु जांच किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं0 1293 दिनांक 07.07.2023 द्वारा जनपद में उपलब्ध बालू खनन क्षेत्रों के Updation/Modification हेतु Sub Divisional Committee का गठन किया गया है।

यहाँ अवगत कराना है कि जनपद गाजियाबाद में तहसील लोनी अन्तर्गत 04 बालू खनन क्षेत्र कमशः (1) ग्राम पचायरा खण्ड–1 क्षे0 16.183 हे0, (2) ग्राम पचायरा खण्ड–2 क्षे0 8.512 हे0, (3) ग्राम नौरसपुर क्षे0 1.81 हे0 व (4) ग्राम बदरपुर क्षे0 7.28 हे0 उपलब्ध है।

ग्राम नौरसपुर में दिनांक 05.05.2025 से 04.02.2026 तक बालू खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 04.02.2026 को समाप्त हो चुकी है। उक्त क्षेत्र के सम्बंध में अवगत कराना है कि –

1. उक्त क्षेत्र में बाढ़ के कारण नदी के जल स्तर बढ़ जाने से अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो गया है, जिसके कारण नदी की जल धारा में खनन कार्य किये जाने की शिकायते निरन्तर प्राप्त होती रही है।
2. उक्त क्षेत्र में वर्ष 2023 में आयी बाढ़ के कारण पट्टा क्षेत्र के सामने सिंचाई विभाग द्वारा शैंक का निर्माण किया गया है, जिससे बालू खनन क्षेत्र में एकत्रित नहीं हो रही है।
3. मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 57 / 2026 सचिन शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2026 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा जांच कर प्रस्तुत आख्या दिनांक 07.04.2026 में निम्नवत् Recommendation की गयी है :–

"The concerned State Government department should conduct regular dredging to ensure the natural course of the River Yamuna is maintained."

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये बालू खनन क्षेत्र ग्राम नौरसपुर की उपयुक्तता के सम्बंध में 15 दिवस के अन्दर अपनी सुस्पष्ट आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

23/4/26
अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

ANNEXURE
R-8/4

संयुक्त जांच आख्या

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0), गाजियाबाद महोदय के पत्र सं0 1286/ख0अनु0-गाजि0/2026-27 दिनांक 23.04.2026 द्वारा बालू खनन क्षेत्र ग्राम नौरसपुर खनन योग्य न होने के कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) में से हटाये जाने हेतु जांच कर आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देशों एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 57/2026 सचिन शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2026 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा जांच कर प्रस्तुत आख्या दिनांक 07.04.2026 में दिये गये Recommendation के क्रम में उपजिलाधिकारी लोनी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, गाजियाबाद, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गाजियाबाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद व खान अधिकारी गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 27.05.2026 को बालू खनन क्षेत्र ग्राम नौरसपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बालू खनन क्षेत्र ग्राम नौरसपुर गाटा संख्या 1 रकबा 1.81 हे0 का लगभग 90 प्रतिशत भाग जलमग्न है। क्षेत्र का मात्र 01 संकरा भाग ही खनन हेतु उपलब्ध है।

2. उपरोक्त स्थिति के कारण यदि उक्त क्षेत्र में खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जाता है तो नदी जल धारा में खनन किये जाने की अत्यधिक सम्भावना है। *इस सम्बन्ध में मा० एन०जी०टी०, नयी दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 589/2025 वरुण गुलाटी बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.11.2025 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा जांच कर प्रस्तुत आख्या दिनांक 19.03.2025 में Recommendation की गयी है कि :-*

   "DM through the Mining Department shall ensure that no mining is carried out in the main stream of the River Yamuna."

3. उक्त क्षेत्र दिल्ली-उ0प्र0 राज्य की सीमा से लगा हुआ है, वर्तमान सीमा नदी की जलधारा के मध्य होने के कारण सीमा निर्धारण नहीं हुआ हैं।

4. सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बालू खनन क्षेत्र ग्राम नौरसपुर, अलीपुर तटबंध के स्पर संख्या 13 एवं 14 के मध्य है| स्पर संख्या 13 एवं 14 यमुना नदी के बायं किनारे पर स्थित है| वर्ष 2023 में यमुना नदी में आए बाढ़ में नदी का बहाव बाएं किनारे की तरफ अत्यधिक था, जिसके कारण तटबंध की तरफ कटान की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी| तटबंध की सुरक्षा हेतु स्पर संख्या 13 एवं 14 के मध्य वर्ष 2024 में बाढ़ सुरक्षात्मक संरचना 8 अदद डैम्पनर एवं स्पर संख्या 13, 14 एवं 15 के पुनर्स्थापना का निर्माण कार्य तटबंध को नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु कराया गया था| उपरोक्त क्षेत्र में यदि खनन कार्य किया जाता है तो उसके कारण बाढ़ सुरक्षात्मक संरचनाओ के क्षतिग्रस्त होने की संभावनाए प्रबल है, जिसके कारण बाढ़ काल में अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है|

S- M.O.

5. उपरोक्तानुसार वर्ष 2023 में उक्त क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण पट्टा क्षेत्र के सामने सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ सुरक्षात्मक संरचनाओ का निर्माण किये जाने से क्षेत्र में बालू की उपलब्धता कम हो गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत बालू खनन क्षेत्र ग्राम नौरसपुर गाटा संख्या 1 रकबा 1.81 हे0 **वर्तमान परिस्थितियों में बालू खनन हेतु उपयुक्त नहीं** है एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित **ओ०ए० सं० 589/2025 वरुण गुलाटी** वनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश **दिनांक 20.11.2025** के अनुपालन में गठित समिति द्वारा जांच कर प्रस्तुत आख्या **दिनांक** 19.03.2025 में दिये गये **Recommendation** के क्रम में उक्त क्षेत्र को खनन परिहार पर स्वीकृत किया जाना उचित नहीं है। आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
गाजियाबाद।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

25/06/26
खान अधिकारी
गाजियाबाद।

उप प्रभागीय वन अधिकारी,
वन विभाग, गाजियाबाद।

उपजिलाधिकारी,
लोनी।

<u>दिनांक 27.05.2026 को जांच के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स</u>

GPS Map Camera
Delhi, Uttar Pradesh, India
, Sungarpur, Delhi, Uttar Pradesh 201102, India
Lat 28.823328° Long 77.223914°
Wednesday, 27/05/2026 05:40 PM GMT +05:30
Azimuth/Bearing : 247.56°
208 m
29.19 µT
248° SW
Facing South West
Google

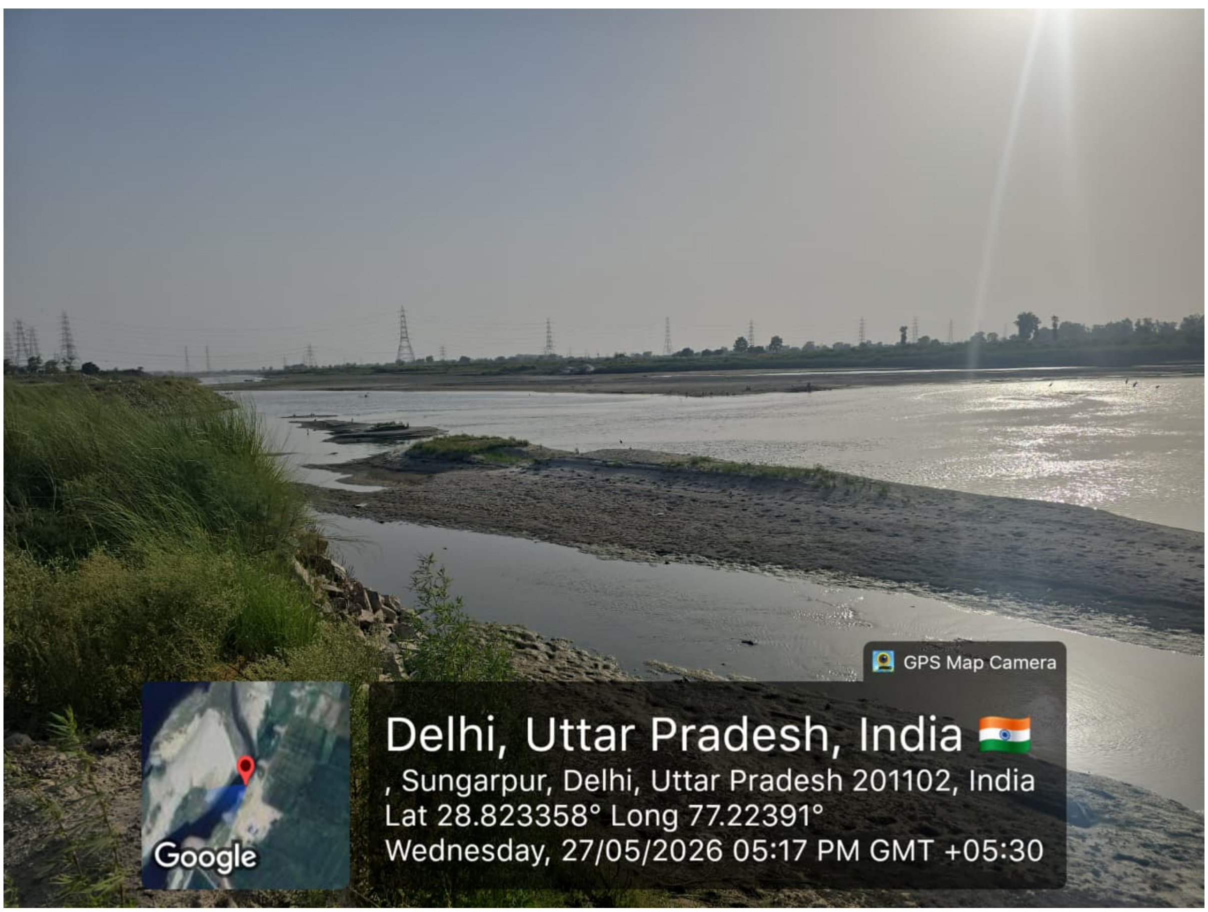
GPS Map Camera
Delhi, Uttar Pradesh, India
, Sungarpur, Delhi, Uttar Pradesh 201102, India
Lat 28.823358° Long 77.22391°
Wednesday, 27/05/2026 05:17 PM GMT +05:30
Google

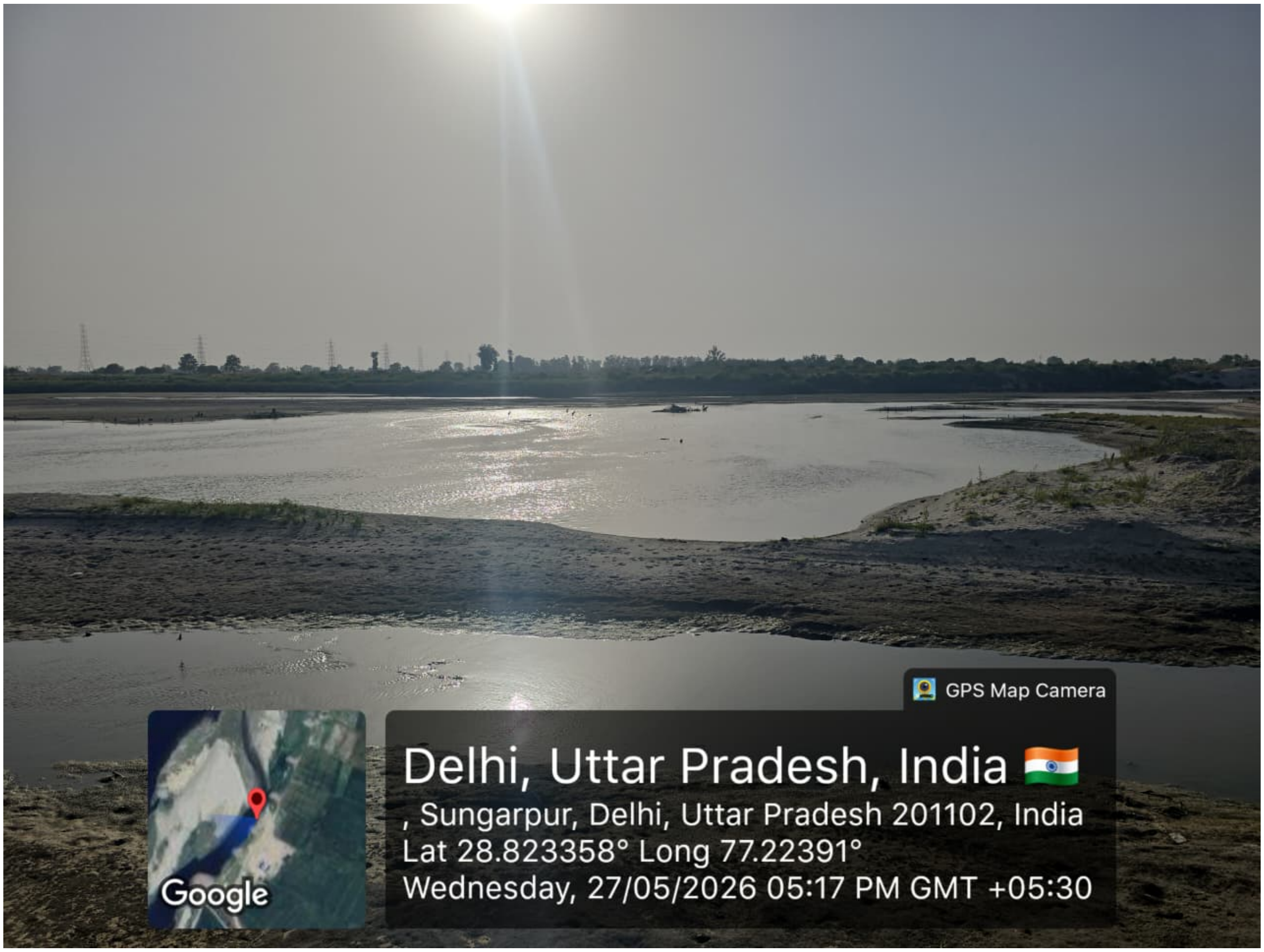
GPS Map Camera
Google
Delhi, Uttar Pradesh, India
, Sungarpur, Delhi, Uttar Pradesh 201102, India
Lat 28.823358° Long 77.22391°
Wednesday, 27/05/2026 05:17 PM GMT +05:30